न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 82/2017

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी:–
सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण		रामाराम पुत्र अमराराम कौम गुर्जर निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: आदेश ::–

दिनांक : 14-10-19

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1705 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के पिता के हक में रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु. बाडा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1705/1 पड़े को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर आदेश पारित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार जैतारण ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II, तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा नम्बर 1705 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के पिता के हक में रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु. बाडा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1705/1 पडे, जो खतौनी बन्दोबस्त अनुसार मूल खसरा नम्बर 1705 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका नियमन अप्रार्थी के पिता अमराराम के पक्ष में तहसीलदार जैतारण द्वारा आदेश 322 दिनांक 15.07.1970 के द्वारा गै.मु. नदी में गै.मु. बाडा कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के निमयन आदेश दिनांक 15.07.1970 के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 501 एवं इसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 870 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आनन्दपुर कालू, पटवार हल्का आनन्दपुर कालू II तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 1705 किस्म गै.मु. नदी में से किस्म परिवर्तन कर, अप्रार्थी के पिता के हक में रकबा 0.07 बीघा किस्म गै.मु. बाड़ा का नियमन किया गया, जिसके बट्टा नम्बर 1705/1 पडे, जो पत्रावली संलग्न खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन से स्पष्ट है खसरा नम्बर 1705 गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका नियमन अप्रार्थी के पिता अमराराम पुत्र मूला गुर्जर को तहसीलदार जैतारण ने अपने आदेश दिनांक 15.07.1970 के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 501 स्वीकृत किया गया, जिसके द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया तथा अमराराम की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी रामाराम के हक मे फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 870 दर्ज किया गया। वक्त नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी के पिता के हक में किया गया, नियमन विधि विरूद्ध है तथा स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से तहसीलदार जैतारण के आदेश क्र.स. 322 एवं दिनांक 15.07.1970 तथा उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 501 एवं इसके पश्चातवृती नामान्तरकरण संख्या 870 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पिता अमराराम पुत्र मूला गुर्जर निवासी आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली (राज.) के पक्ष में तहसीलदार जैतारण द्वारा जो नियमन किया गया, उक्त आदेश दिनांक 15.07.1970 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 501 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 870 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर गै.मु. बाडा से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सादर प्रेषित है।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली